

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,
एम. पी.-19.-ग्वालियर- 2008-10

पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन
एम.पी.-19- ग्वालियर-2008-10



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2010-फाल्गुन 14, शके 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003 (म. प्र.)

दिनांक 03 मार्च, 2010

प्रारूप चौदह

[नियम 18 (2) देखिए]

नगर विकास योजना क्रमांक 166 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

वि. क्र. 23.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 14 मार्च, 2008 को पृष्ठ क्रमांक 229 पर प्रकाशित विज्ञापित के संदर्भ में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन निम्न चतुःसीमा में दर्शित भूमि के सम्बन्ध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक-166 की चतुःसीमा

- पूर्व में : ग्राम टिगरिया बादशाह के विद्यमान मार्ग सहित जिसे विकास योजना 2021 में 30 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है।
- पश्चिम में : विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सुपर कॉरीडोर की पूर्वी सीमा जो ग्राम टिगरिया बादशाह की भूमि पर प्रस्तावित है।
- उत्तर में : विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सुपर कॉरीडोर (ग्राम टिगरिया बादशाह)।
- दक्षिण में : ग्राम टिगरिया बादशाह एवं ग्राम छोटा बांगडदा की कांकड पर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े मार्ग की भूमि सहित।

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर।

2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर जो उस योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा.

(183-बी.)

दिनांक 03 मार्च, 2010

प्रारूप चौदह

[नियम 18 (2) देखिए]

नगर विकास योजना क्रमांक 167 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

वि. क्र. 24.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 14 मार्च, 2008 को पृष्ठ क्रमांक 229 पर प्रकाशित विज्ञापित के संदर्भ में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन निम्न चतुःसीमा में दर्शित भूमि के सम्बन्ध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है.

योजना क्रमांक-167 की चतुःसीमा

- पूर्व में : ग्राम लसूडिया मोरी तथा अरण्डया की कांकड पर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े मार्ग की भूमि सहित.
- पश्चिम में : विकास योजना 2021 में लसूडिया मोरी ग्राम की भूमि पर प्रस्तावित 75 मीटर चौड़े मार्ग की भूमि सहित है.
- उत्तर में : ग्राम लसूडिया मोरी तथा तलावली चांदा की कांकड पर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े मार्ग की भूमि सहित.
- दक्षिण में : ग्राम लसूडिया मोरी की भूमि पर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े मार्ग की भूमि सहित.

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग काम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर जो उस योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा.

(183-A-बी.)

दिनांक 03 मार्च, 2010

प्रारूप चौदह

[नियम 18 (2) देखिए]

नगर विकास योजना क्रमांक 168 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

वि. क्र. 25.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 14 मार्च, 2008 को पृष्ठ क्रमांक 2 पर प्रकाशित विज्ञापित के संदर्भ में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन निम्न चतुःसीमा में दर्शित भूमि के सम्बन्ध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है.

योजना क्रमांक-168 की चतुःसीमा

- पूर्व में : विकास योजना 2021 में बायपास के पूर्व की ओर प्रस्तावित 45 मीटर मार्ग (मार्ग की भूमि सहित).
 पश्चिम में : ग्राम खजाराना एवं ग्राम ग्राम बिचौली हप्सी, खजराना एवं कनाडिया तथा खजराना एवं निपानिया की सीमा.
 उत्तर में : झलारिया रोड (मार्ग की भूमि सहित).
 दक्षिण में : बिचौली हप्सी रोड (मार्ग की भूमि सहित).

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर
3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर जो उस योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा.

(183-B-बी.)

प्रमोद गुप्ता,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

अन्य सूचनाएं**कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड****ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2010

क्र. 204.—मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-53 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-17/2009/बत्तीस, दिनांक 22 जनवरी, 2010 के पूर्व अनुमोदन उपरांत निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्लेषक नियुक्त करता है:—

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	2	3
1.	डॉ. व्ही. आर. सोनवाने	वरि. वैज्ञा. अधि.
2.	डॉ. रीता कोरी	वरि. वैज्ञा. अधि.
3.	डॉ. जी. के. जैस	मुख्य रसायनज्ञ
4.	श्री एन. के. सक्सेना	मुख्य रसायनज्ञ
5.	डॉ. पी. डी. श्रीवास्तव	मुख्य रसायनज्ञ
6.	डॉ. शोभा धानेकर	मुख्य रसायनज्ञ
7.	डॉ. राकेश सिंह परिहार	मुख्य रसायनज्ञ
8.	डॉ. अभय कुमार सक्सेना	मुख्य रसायनज्ञ
9.	श्री प्रेमचंद उचारिया	मुख्य रसायनज्ञ
10.	श्रीमती सुरेखा सोनवाने	मुख्य रसायनज्ञ
11.	श्री डी. एन. गदेवाडीकर	मुख्य रसायनज्ञ
12.	सुश्री रीता तिवारी	मुख्य रसायनज्ञ
13.	श्री पी. आर. देव	मुख्य रसायनज्ञ

1	2	3
14.	श्री आर. एस. भावसार	मुख्य रसायनज्ञ
15.	श्री अरूण कुमार मिश्रा	मुख्य रसायनज्ञ
16.	श्रीमती अपर्णा बापट	मुख्य रसायनज्ञ
17.	श्री नेत्रपाल सिंह	मुख्य रसायनज्ञ
18.	श्री अमोलदास संत	मुख्य रसायनज्ञ
19.	डॉ. गुणवंत जोशी	मुख्य रसायनज्ञ
20.	डॉ. राजेश कुमार जैन	वैज्ञानिक
21.	डॉ. सुरेश कुमार श्रृंगी	वैज्ञानिक
22.	श्री अरविन्द केशवरे	वैज्ञानिक
23.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	वैज्ञानिक
24.	डॉ. दिलीप कुमार वागेला	वैज्ञानिक
25.	डॉ. लोकेन्द्र त्रिवेदी	वैज्ञानिक
26.	डॉ. अरूण कुमार श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
27.	डॉ. सुनील दत्त तिवारी	वैज्ञानिक
28.	डॉ. शंकर प्रसाद बढौलिया	वैज्ञानिक
29.	श्री राजेन्द्र कुमार मालवीय	वैज्ञानिक
30.	डॉ. श्यामानुज तिवारी	वैज्ञानिक
31.	डॉ. प्रभाशंकर शर्मा	वैज्ञानिक
32.	श्री गुटानी आम्बुलकर	वैज्ञानिक
33.	श्री सुनील श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
34.	डॉ. आलोक सक्सेना	वैज्ञानिक
35.	डॉ. नीरज कुमार वर्मा	वैज्ञानिक
36.	डॉ. अविनाश चन्द्र करेरा	वैज्ञानिक
37.	डॉ. निशा उपाध्याय	वैज्ञानिक
38.	डॉ. राजश्री शुक्ला	वैज्ञानिक
39.	डॉ. ललिता शर्मा	वैज्ञानिक
40.	डॉ. प्रतिमा जोशी	वैज्ञानिक
41.	श्री प्रतिम खरे	वैज्ञानिक
42.	डॉ. आनन्द किशोर दुबे	वैज्ञानिक
43.	डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी	वैज्ञानिक
44.	डॉ. सरोज श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
45.	डॉ. आरती अग्रवाल	वैज्ञानिक
46.	डॉ. शेतबंधु तिवारी	वैज्ञानिक
47.	श्री एस.एस. पण्डया	वैज्ञानिक
48.	श्री सुखनंदन पाटिल	वैज्ञानिक
49.	डॉ. सुनील कुमार खरे	वैज्ञानिक
50.	डॉ. एस. सुनील सुधाकरण	वैज्ञानिक
51.	श्रीमती तमनीम सूफी खॉन	वैज्ञानिक
52.	श्री दुरविजय सिंह जाटव	वैज्ञानिक
53.	श्री विजेन्द्र कुमार वर्मा	वैज्ञानिक
54.	डॉ. संध्या मोखले	वैज्ञानिक

1	2	3
55.	श्री अतुल कोटिया	वैज्ञानिक
56.	श्री हर्षवर्द्धन ठक्कर	वैज्ञानिक
57.	श्री शशांक करैया	वैज्ञानिक
58.	श्रीमती संगीता आर. दानी	वैज्ञानिक
59.	श्री सुनील व्यास	कनि. वैज्ञानिक
60.	श्री चन्द्रकांत शर्मा	कनि. वैज्ञानिक
61.	श्री अजय मिश्रा	कनि. वैज्ञानिक
62.	श्री ताराशंकर बैनर्जी	कनि. वैज्ञानिक
63.	श्रीमती पद्मा व्यास	कनि. वैज्ञानिक
64.	डॉ. हरीश बी. वानखेड़े	कनि. वैज्ञानिक
65.	श्री संजीव कुमार सक्सेना	कनि. वैज्ञानिक
66.	डॉ. आनन्द द्विवेदी	कनि. वैज्ञानिक
67.	डॉ. राजकुमारी सिंह	कनि. वैज्ञानिक
68.	श्री राकेश कुमार जैन	कनि. वैज्ञानिक
69.	डॉ. अजय कुमार खरे	कनि. वैज्ञानिक
70.	श्री संजय कुमार जैन	कनि. वैज्ञानिक
71.	डॉ. दीपक काले	कनि. वैज्ञानिक
72.	श्रीमती ललिता सेनवार	कनि. वैज्ञानिक
73.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	कनि. वैज्ञानिक
74.	श्री असद उल्ला बैग	कनि. वैज्ञानिक
75.	डॉ. माजिद मो. कुरेशी	कनि. वैज्ञानिक
76.	डॉ. राहुल द्विवेदी	कनि. वैज्ञानिक
77.	श्री रामनारायण देशवाली	कनि. वैज्ञानिक
78.	श्री विष्णु किशोर बघेल	कनि. वैज्ञानिक
79.	श्रीमती प्रेमलता सोनगरा	रसायनज्ञ
80.	डॉ. संजय मिश्रा	रसायनज्ञ
81.	श्री राजाराम भंवर	रसायनज्ञ
82.	श्री हरीशंकर शर्मा	रसायनज्ञ
83.	श्रीमती चंचला पाठक	रसायनज्ञ
84.	डॉ. सुभी माथुर	रसायनज्ञ
85.	डॉ. प्रवीण कोठारी	रसायनज्ञ
86.	श्री राजमल गामड	रसायनज्ञ
87.	श्री प्रदीप कुमार जैन	रसायनज्ञ
88.	श्री महेन्द्र सिंह	रसायनज्ञ
89.	डॉ. अशोक कुमार तिवारी	रसायनज्ञ
90.	श्री डी. के. शर्मा	रसायनज्ञ
91.	श्री जय कुमार राजोरिया	रसायनज्ञ
92.	श्री सुबोध भार्गव	रसायनज्ञ
93.	श्री एस. एन. कटारे	रसायनज्ञ
94.	श्रीमती अरूणा चौबे	रसायनज्ञ
95.	श्रीमती मीना मिश्रा	रसायनज्ञ

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 2010

क्र. 205.—मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की (1981 का क्र. 14) की धारा-29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-17/2009/बत्तिस, दिनांक 22 जनवरी, 2010 के पूर्व अनुमोदन उपरांत निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्लेषक नियुक्त करता है:—

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	2	3
1.	डॉ. व्ही. आर. सोनवाने	वरि. वैज्ञा. अधि.
2.	डॉ. रीता कोरी	वरि. वैज्ञा. अधि.
3.	डॉ. जी. के. जैस	मुख्य रसायनज्ञ
4.	श्री एन. के. सक्सेना	मुख्य रसायनज्ञ
5.	डॉ. पी. डी. श्रीवास्तव	मुख्य रसायनज्ञ
6.	डॉ. शोभा धानेकर	मुख्य रसायनज्ञ
7.	डॉ. राकेश सिंह परिहार	मुख्य रसायनज्ञ
8.	डॉ. अभय कुमार सक्सेना	मुख्य रसायनज्ञ
9.	श्री प्रेमचंद उचारिया	मुख्य रसायनज्ञ
10.	श्रीमती सुरेखा सोनवाने	मुख्य रसायनज्ञ
11.	श्री डी. एन. गदेवाडीकर	मुख्य रसायनज्ञ
12.	सुश्री रीता तिवारी	मुख्य रसायनज्ञ
13.	श्री पी. आर. देव	मुख्य रसायनज्ञ
14.	श्री आर. एस. भावसार	मुख्य रसायनज्ञ
15.	श्री अरूण कुमार मिश्रा	मुख्य रसायनज्ञ
16.	डॉ. गुणवंत जोशी	मुख्य रसायनज्ञ
17.	डॉ. राजेश कुमार जैन	वैज्ञानिक
18.	डॉ. सुरेश कुमार श्रृंगी	वैज्ञानिक
19.	श्री अरविन्द केशवरे	वैज्ञानिक
20.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	वैज्ञानिक
21.	डॉ. दिलीप कुमार वागेला	वैज्ञानिक
22.	डॉ. लोकेन्द्र त्रिवेदी	वैज्ञानिक
23.	डॉ. अरूण कुमार श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
24.	डॉ. सुनील दत्त तिवारी	वैज्ञानिक
25.	डॉ. शंकर प्रसाद बढौलिया	वैज्ञानिक
26.	श्री राजेन्द्र कुमार मालवीय	वैज्ञानिक
27.	डॉ. श्यामानुज तिवारी	वैज्ञानिक
28.	डॉ. प्रभाशंकर शर्मा	वैज्ञानिक
29.	श्री गुटानी आम्वुलकर	वैज्ञानिक
30.	श्री सुनील श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
31.	डॉ. आलोक सक्सेना	वैज्ञानिक
32.	डॉ. नीरज कुमार वर्मा	वैज्ञानिक
33.	डॉ. अविनाश चन्द्र करेरा	वैज्ञानिक
34.	डॉ. निशा उपाध्याय	वैज्ञानिक

1	2	3
35.	डॉ. राजश्री शुक्ला	वैज्ञानिक
36.	डॉ. ललिता शर्मा	वैज्ञानिक
37.	डॉ. प्रतिमा जोशी	वैज्ञानिक
38.	श्री प्रतिम खरे	वैज्ञानिक
39.	डॉ. आनन्द किशोर दुबे	वैज्ञानिक
40.	डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी	वैज्ञानिक
41.	डॉ. सरोज श्रीवास्तव	वैज्ञानिक
42.	डॉ. आरती अग्रवाल	वैज्ञानिक
43.	डॉ. शेतबंधु तिवारी	वैज्ञानिक
44.	श्री सुखनंदन पाटिल	वैज्ञानिक
45.	डॉ. सुनील कुमार खरे	वैज्ञानिक
46.	डॉ. एस. सुनील सुधाकरण	वैज्ञानिक
47.	श्रीमती तसनीम सूफी खॉन	वैज्ञानिक
48.	श्री दुरविजय सिंह जाटव	वैज्ञानिक
49.	श्री बिजेन्द्र कुमार वर्मा	वैज्ञानिक
50.	डॉ. संध्या मोखले	वैज्ञानिक
51.	श्री अतुल कोटिया	वैज्ञानिक
52.	श्री हर्षवर्द्धन ठक्कर	वैज्ञानिक
53.	श्री शशांक करैया	वैज्ञानिक
54.	श्रीमती संगीता आर. दानी	वैज्ञानिक
55.	श्री चन्द्रकांत शर्मा	कनि. वैज्ञानिक
56.	श्री अजय मिश्रा	कनि. वैज्ञानिक
57.	श्री ताराशंकर बैनर्जी	कनि. वैज्ञानिक
58.	श्रीमती पद्मा व्यास	कनि. वैज्ञानिक
59.	डॉ. हरीश बी. वानखेड़े	कनि. वैज्ञानिक
60.	श्री संजीव कुमार सक्सेना	कनि. वैज्ञानिक
61.	डॉ. आनन्द द्विवेदी	कनि. वैज्ञानिक
62.	डॉ. राजकुमारी सिंह	कनि. वैज्ञानिक
63.	श्री राकेश कुमार जैन	कनि. वैज्ञानिक
64.	डॉ. अजय कुमार खरे	कनि. वैज्ञानिक
65.	श्री सजय कुमार जैन	कनि. वैज्ञानिक
66.	डॉ. दीपक काले	कनि. वैज्ञानिक
67.	श्रीमती ललिता सेनवार	कनि. वैज्ञानिक
68.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	कनि. वैज्ञानिक
69.	श्री असद उल्ला बैग	कनि. वैज्ञानिक
70.	डॉ. माजिद मो. कुरेशी	कनि. वैज्ञानिक
71.	डॉ. राहुल द्विवेदी	कनि. वैज्ञानिक
72.	श्री रामनारायण देशवाली	कनि. वैज्ञानिक
73.	श्री विष्णु किशोर वघेल	कनि. वैज्ञानिक
74.	डॉ. संजय मिश्रा	रसायनज्ञ
75.	श्री राजाराम भंवर	रसायनज्ञ

1	2	3
76.	श्री हरीशंकर शर्मा	रसायनज्ञ
77.	श्रीमती चंचला पाठक	रसायनज्ञ
78.	डॉ. सुभी माथुर	रसायनज्ञ
89.	डॉ. प्रवीण कोठारी	रसायनज्ञ
80.	श्री राजमल गामड	रसायनज्ञ
81.	डॉ. अशोक कुमार तिवारी	रसायनज्ञ
82.	श्री डी. के. शर्मा	रसायनज्ञ
83.	श्री जय कुमार राजोरिया	रसायनज्ञ
84.	श्री सुबोध भार्गव	रसायनज्ञ
85.	श्री एस. एन. कटारे	रसायनज्ञ
86.	श्रीमती अरूणा चौबे	रसायनज्ञ
87.	श्रीमती मीना मिश्रा	रसायनज्ञ

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन,
सदस्य सचिव.

(182-A-B.)

विविध

निविदा सूचनाएं

बिड आमंत्रण (आई. एफ. बी.)

नेशनल कम्पटिटिव बिडिंग

दिनांक 20 फरवरी, 2010

बिड नं. 01/YB/2009-10.

1. भारत सरकार द्वारा इन्टरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट (आई. बी. आर. डी.) से मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट की लागत पर इस अभिप्राय से ऋण दिया गया है कि निम्नानुसार निर्माण कार्य के अनुबंध के अंतर्गत पात्र भुगतान किये जा सके. निविदा आई. बी. आर. डी. के निर्देशों में परिभाषित पात्र स्रोत देशों के सभी निविदाकारों के लिये खुली है तथापि भारत के निविदाकारों को मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग या अन्य राज्य शासन/भारत सरकार या राज्य/भारत सरकार के उपक्रम में पंजीकृत होना चाहिये. केवल वही निविदाकार जिन्होंने इसी प्रकार का कार्य पूर्व में सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो, निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र हैं. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे "निविदाकारों हेतु निर्देश" (आई. टी. बी.) की कंडिका 4 में दिये गये "निविदा हेतु पात्रता" संबंधी न्यूनतम अर्हता मापदण्ड से भलीभांति परिचित हों लेवें.
2. मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर सारणी में वर्णित निर्माण कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित करते हैं.
3. निविदा प्रपत्र तीन प्रतियों में मुख्य अभियंता, यमुना कछार, ग्वालियर के कार्यालय से दिनांक 26 फरवरी, 2010 से 29 मार्च, 2010 तक के मध्य कार्यालयीन समय में इंगित की गई, गैर वापिसी योग्य शुल्क रु. 15,000/- नगद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर के पक्ष में श्योपुर के किसी भी अधिसूचित बैंक में देय हो.) के रूप में जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं. इच्छुक निविदाकार विस्तृत जानकारी इस पते से प्राप्त कर सकते हैं. निविदा प्रपत्र रुपये 1,000/- का अतिरिक्त भुगतान करने पर मुख्य अभियंता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर से रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जावेंगे, किन्तु पोस्टल देरी के कारण निविदा का वितरण यदि विलम्ब से होता है अथवा प्रपत्र नहीं मिलने की स्थिति में इस कार्यालय की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
4. निविदा के साथ में प्रतिभूति राशि जो विनिर्दिष्ट सारणी में दिये गये कार्य हेतु, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर, मध्यप्रदेश के पक्ष में देय होनी चाहिये. प्रतिभूति राशि निविदा प्रपत्र में वर्णित स्वरूपों में से किसी भी एक स्वरूप में होना चाहिये एवं इसकी वैधता निविदा की वैधता से 45 दिवस अधिक होना चाहिये.